


85/71

5538/04



062227



विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : ₹ 8,29,920/-
 बाजार मूल्य : ₹ 6,12,500/-
 स्टाम्प शुल्क : ₹ 83,000/-
 परगना : विजनौर

यह विक्रय विलेख गरीबे पुत्र मोहन लाल व रामदीन, दुर्गा प्रसाद, लक्ष्मी नारायण, राजकुमार पुत्रगण खुन्नी, निवासीगण ग्राम-हरिहरपुर, परगना विजनौर, तहसील व जिला लखनऊ

रामदीन

दुर्गा प्रसाद

राजकुमार



दिनांक 23-6-06
पुस्तक संख्या 20000
नाम कमल किशोर
पता

सं. 10/10/10
सं. 10/10/10

बै० 829920/-
50000 + 40250602

श्री ठाकुरजी सोहनलाल
पुत्र/पत्नी
श्री 114 विमानतट, लखनऊ
में आज दिनांक 24/6/06 को समय 12:30
पर मुद्राभा नकल प्राप्त एवं (मुद्रा) अभिलेखित किया।
सहित प्रस्तुत किया।
उप निबन्धक-प्रधान
लखनऊ



निष्पादन लेखक वद स्वामी व समझने सज्जन
से प्राप्त एवं सजाया
पाकर उक्त को
स्वीकार किया।

कृपया कृपया कृपया
कृपया कृपया कृपया
कृपया कृपया कृपया
कृपया कृपया कृपया





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

062228



- 2 -

जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् कमल किशोर पुत्र भोला, निवासी-मिर्जापुर, भिटारी, पोस्ट-नवगांव, जिला-फतेहपुर, उ०प्र० जिन्हें आगे क्रोता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1413 से 1418 फसली के खाता खतौनी क्रम सं० 35 के खसरा संख्या-600 रकबा 0.167 हेक्टेअर, खसरा संख्या-613 रकबा 0.183 हेक्टेअर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.350 हेक्टेअर,

रामदीन
 दुर्गा प्रसाद
 राज कुमार



आदर्श प्रमाणिका

दिनांक 23-6-66
मा. सं. 20000-
नाम कप्तम किशोर
द्वारा


व. रोडिया

मुख्य अधिकारी

जानकी पहवान श्री सुनील कुमार
पुत्र श्री सुनील कुमार
निवासी श्री सुनील कुमार
व श्री सुनील कुमार
पुत्र श्री सुनील कुमार
निवासी श्री सुनील कुमार

(श्री. डी. खोबास्ता)

उप निवास्ता-प्रथम
लेखन



श्री. सुनील कुमार



प्रत्यक्ष लेखन के निशान
अंगुठे निकाले गये हैं
(श्री. डी. खोबास्ता)
उप निवास्ता-प्रथम
लेखन





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

062229



- 3 -

स्थित ग्राम हरिहरपुर, परगना विजनीर, तहसील व जिला-लखनऊ, के मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षट्वार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 35 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में आदेश दिनांक 17.06.2006 के द्वारा हो गया है, उक्त भूमि विक्रेतागणों को विरासत में मिली है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है

रामदीन
 दुर्गा प्रसाद
 राजकुमार





062230

- 4 -

एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण



रामदीन
 दुर्गा १९१४
 राजकुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 5 -

अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु० 8,29,920/- (रुपया आठ लाख उनतीस हजार नौ सौ बीस मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त ब्रोकर द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अर्न्तगत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर



1
2
3
4
5
रामदीन
दुर्गा प्रसाद
राज कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 6 -

कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग



1
2
3
4
5
6
7
8
रामदीन
दुर्गा प्रसाद
राज कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 7 -

विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थित में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

1 2 3 4 5

रामदीन
दुर्गा प्रसाद
राजकुमार

श्री. राजकुमार

श्री. राजकुमार

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हरिहरपुर अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू० 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.350 हेक्टेअर की मालियत रू० 6,12,500/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू० 83,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1413 से 1418 फसली के खाता खतौनी क्रम सं० 35 के खसरा संख्या-600 रकबा



रामदीन
रामकुमार
रामदीन



5



0.167 हेक्टेअर, खसरा संख्या-613 रकबा 0.183 हेक्टेअर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.350 हेक्टेअर, स्थित ग्राम हरिहरपुर, परगना बिजनौर, तहसील व जिला- लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा न० 600

पूरब : खसरा संख्या-601
पश्चिम : खसरा संख्या-573
उत्तर : खसरा संख्या-599
दक्षिण : खसरा संख्या-601 व 613

खसरा न० 613

पूरब : खसरा संख्या-601
पश्चिम : खसरा संख्या-614
उत्तर : खसरा संख्या-573 व 600
दक्षिण : खसरा संख्या-611 व 612

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. गरीबे को रू० 4,14,960/- (रूपया चार लाख चौदह हजार नौ सौ साठ) द्वारा चेक संख्या-459118,
2. रामदीन को रू० 1,03,740/- (रूपया एक लाख तीन हजार सात सौ चालीस) द्वारा चेक संख्या-459119,
3. दुर्गा प्रसाद को रू० 1,03,740/- (रूपया एक लाख तीन हजार सात सौ चालीस) द्वारा चेक संख्या-459120,
4. लक्ष्मी नरायन को रू० 1,03,740/- (रूपया एक लाख तीन हजार सात सौ चालीस) द्वारा चेक संख्या-459121,
5. रामकुमार को रू० 1,03,740/- (रूपया एक लाख तीन हजार सात सौ चालीस) द्वारा चेक संख्या-459124,



रामदीन



दुर्गा प्रसाद

रामकुमार

5



रामकुमार

सभी चेक दिनांकित 23.06.2006, जारीकर्ता बैंक
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 8,29,920/- (रुपया
आठ लाख उनतीस हजार नौ सौ बीस मात्र) विक्रेतागणों ने क्रेता
से उपरोक्त चेकों के माध्यम से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति
विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ

दिनांक: 23.06.2006

गवाह

1. श्री
सुनील जीवन्तवर्मा शर्मा, एम.बी.ए.
(मालका), लखनऊ

1. श्री
शर्मा

2. रामदीन

3. सुतो प्रसाद

2. श्री
गोपाल

श्री चन्द प्रसाद खन्ना लखनऊ
हरद्वार निलमशांलखनऊ

5. श्री
राजकुमार

राजकुमार
विक्रेतागण

श्री
अनवरुद्दौल

टाईपकर्ता

(अभय शाह)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता


(सैय्यद अन्जर हुसैन)

एडवोकेट


रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,
फिंगरप्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- रामदीन 5/6 श्री हनुमान

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- शमदीन 5/6 बुन्गी प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर



बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



रामदीन


विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर




रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 एडो के अनुपालन हेतु,
फिंगरप्रिंट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- दुर्गा प्रसाद शर्मा लु-31

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




दुर्गा प्रसाद

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- लक्ष्मी नारायण शर्मा लु-31

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

लक्ष्मी नारायण शर्मा

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,
फिंगरप्रिंट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- राजकुमार 5% लुन्नी

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



राजकुमार
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- सुमन मिश्रा 5% लुन्नी

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर
[Signature]

जकरी - जरी


ग्राम :- हगियापुर

खसरा नं. :- 500, 113

लिक्रेता :- गरीब रामदीन सुभाषिदास, राजकुमार

लेता :- रामत सिंग लक्ष्मी जालक

200 बी. निजपा के अन्तर्गत लिखत साबित पारसम्पातकों का विवरण.



राजकुमार

रामदीन
सुभाषिदास

रामदीन
गरीब

1

रामत सिंग

Handwritten scribble or mark in the top right corner.

